

# ADCs द्वारा 125वें संवधान संशोधन वधियक को पारति करने की मांग

सरोत: इंडयिन एकसपरेस

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों **असम, मेघालय, मोजोरम और त्रिपुरा** के 10 **स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)** के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Chief Executive Magistrates- CEMs) ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की और <u>125वें संविधान संशोधन विधयक</u> को पारित करने की मांग रखी।

इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने विधयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय
लिया।

## 125वें संवधान संशोधन वधियक में प्रस्तावति संशोधन क्या हैं?

- विधयक का उद्देश्य संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करना है।
- ग्राम एवं नगर परिषदें:
  - ॰ प्रस्ताव में मौजूदा ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के साथ-साथ ग्राम एवं नगर परिषदों का गठन भी शामिल है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग गाँवों या गाँवों के समूहों के लिये ग्राम परिषदें (Village Councils) स्थापित की जाएंगी, जबकि प्रत्येक ज़िले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापित की जाएंगी।
- ज़िला परिषदों को निम्नलिखिति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा:
  - ॰ गुराम और नगर परिषदों की संख्या एवं संरचना।
  - ॰ इन परिषदों में चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
  - ॰ ग्राम एवं नगर परिषदों की शक्तियाँ और कार्य।
- शक्तियों के हस्तांतरण के नियम: राज्यपाल को ग्राम एवं नगर परिषदों को शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा।
  - ॰ इन नयिमों में निम्नलखिति शामिल हो सकते हैं:
    - आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी।
    - भूमि सुधारों का कार्यान्वयन।
    - शहरी एवं नगरीय नियोजन।
    - अन्य उत्तरदायतिवों के साथ-साथ भूमि उपयोग का वनियिमन।
  - ॰ विधेयक में प्रस्ताव किया <mark>गया है कि रा</mark>ज्यपाल दल-बदल/दल -परविर्तन (Defection) के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नियम भी बना सकता है।
- राज्य वित्त आयोग: विधियक में ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिये इन राज्यों में एक <u>वित्त</u>
   <u>आयोग</u> की नियुक्ति का प्रावधान है। आयोग निम्नलिखिति के संबंध में सिफारिशें करेगा:
  - ॰ राजय और ज़िला परिषदों के बीच करों का वितरण।
  - ॰ **राज्य की संचित निध** से ज़िला, गुराम और नगर परिषदों को अनुदान सहायता।
- परिषदों के चुनाव: ज़िला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के चुनावों की देख-रेख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति इन चार राज्यों के लिये राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- वधियक की वरतमान स्थितिः
  - ॰ संवधान (125वाँ संशोधन) विधेयक 2019, **को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था** और बाद में इसे गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय सथायी समिति को भेज दिया गया।
  - ॰ समिति ने वर्ष 2020 में परसतुत अपनी रिपोर्ट में विधयक के बारे में कई चिताएँ वयकत थीं और तब से यह लंबित है।

## संवधान की छठी अनुसूची क्या है?

- क्षेत्र: इस अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।
- संवैधानिक आधार: इस अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 (2) (छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे) और अनुच्छेद 275 (1) (यह भारत की समेकित निधि से अनुदान सहायता को सुनश्चित करता है) आते हैं।
- स्वायत्तता: इस अनुसूची के तहत स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADCs) में शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमि, वन, कृषि, विरासत, सीमा शूलक और करों पर कानून का निर्माण करना शामिल है।
- शासन: ADC विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ छोटे राज्यों की तरह कार्य करते हैं।

# स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs) क्या हैं?

- परिचय: ADCs संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के तहत पूर्वोत्तर भारत में बनाए गए संवैधानिक साधन हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।
  - ॰ **राज्यपाल का प्राधिकार:** स्वायत्त ज़िलों को उनके क्षेत्रों और सीमाओं सहति व्यवस्थिति, पुनर्गठित एवं संशोधित कर सकता है।
  - ॰ जनजातीय वितरण: यदि कई जनजातियाँ मौजूद हैं, तो राज्यपाल ज़िल के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन कर सकता है।
- संरचना:
  - ज़िला परिषद: प्रत्येक ज़िले में 30 सदस्यों की एक परिषद होती है (4 राज्यपाल द्वारा नामित, 26 निर्वाचित), जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
  - क्षेत्रीय/आंचलिक परिषद: प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की अपनी परिषद होती है।
  - **प्रशासन**: ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्राधिकार का प्रबंधन करती हैं तथा जनजातीय विवादों के <mark>लिये</mark> ग्राम परिषदें या न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। अपील की सुनवाई राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से <mark>की जाती है।</mark>

The Vision

वर्तमान में 10 स्वायत्त परिषदें अस्तित्व में हैं - असम, मेघालय और मिज़ोरम में तीन-तीन तथा त्रिपुरा में एक ।



# भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ



मूलतः (वर्ष 1949) संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जबिक वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं; वर्ष 1951 के पश्चात किये गए विभिन्न संशोधनों के तहत ४ अनुसूचियाँ (9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) और जोड़ी गई हैं।

#### प्रथम अनुसूची

- अनुच्छेदः 1 और 4राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

#### द्वितीय अनुसूची

- अनुच्छेद: 59, 65, 75, 97,125, 148, 158, 164, 186 और 221
- 🖲 विभिन्न संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि) के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार

#### तृतीय अनुसूची

- अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219
- 🖲 शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार (केंद्रीय मंत्री, सांसद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि)

### चौथी अनुसूची

- 🌀 अनुच्छेद: ४ और ८०
- राज्यसभा में सीटों का आवंटन

### पाँचवीं अनुसूची

- अनुच्छेद: 244
- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण

## छठी अनुसूची

- अनुच्छेद: 244 और 275
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

### सातवीं अनुसूची

- अनुच्छेद: 246संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)

#### आठवीं अनुसूची

- अनुच्छेद: 344 और 351
- 🌀 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त २२ भाषाएँ

## नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)

- 9 अनुच्छेद: 31-B
- कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन

#### दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)

- अनुच्छेद: 102 और 191
- दलबदल विरोधी कानून

#### ग्यारहवीं अनुसूची (७३वाँ संशोधन अधिनियम, १९९२)

- 9 अनुच्छेद: 243-G
- पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व

# बारहवीं अनुसूची (७४वाँ संशोधन अधिनियम, १९९२)

अनुच्छेद: 243-W

नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व



और पढ़ें: छठी अनुसूची एवं इनर लाइन परमटि प्रणाली

# UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

### ?!?!?!?!?!?!?!?:

Q. भारत के संवधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

- (a) तीसरी अनुसूची
- (b) पाँचवीं अनुसूची
- (c) नौवीं अनुसूची
- (d) बारहवीं अनुसूची

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/adcs-raise-demand-to-pass-125th-constitutional-amendment-bill

